



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 39-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021 (ASVINA 6, 1943 SAKA)

## PART – I

### Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 सितम्बर, 2021

**संख्या 12/153-95/पुरा/3366-71.**— हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम, 20), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, अधिसूचना संख्या 45/12/93.शि.III (6) दिनांक 01 मई 1995 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् :-

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या के पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों या सझावों यदि कोई हों, सहित, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा, प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जायें, विचार करेगी।

### संशोधन

हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, अधिसूचना संख्या 45/12/93.शि.III (6) दिनांक 01 मई 1995 में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रति स्थापित की जाएगी अर्थात् :-

## अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/ शहर का नाम	तहसील तथा जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किये जाने वाला क्षेत्र	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
एंग्लो-बोयर युद्ध (1899-1902) के 20 कैदियों की कब्रें	...	यूरोपियन कारगाह, अम्बाला छावनी	अम्बाला	सरकारी भूमि रिकार्ड, सर्वेक्षण नं० 159	एंग्लो-बोयर युद्ध (1899-1902) के 20 कैदियों की कब्रें एवं कब्रों से एक मीटर की दूरी के दायरे के क्षेत्र जिसमें साथ लगती आस-पास की अन्य कब्रों का क्षेत्र शामिल न हो।	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	भारत में स्थित युनाईटेड किंगडम के उच्च आयोग द्वारा प्रबंधित।

डॉ० अशोक खेमका,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT**

**Notification**

The 10th September, 2021

**No. 12/153-95/Pura/3366-71.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), the Governor of Haryana hereby makes following amendments in the Haryana Government, Archaeology and Museums Department notification No. 45/12/93-Edu. III (6), dated 1st May, 1995.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Archaeology and Museums Department, Chandigarh, from any person with respect to the proposal before the expiry of the period so specified.

**AMENDMENT**

In the Haryana Government, Archaeology and Museums Department notification No. 45/12/93-Edu. III (6), dated 1st May, 1995, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

**SCHEDULE**

Name of ancient and historical monument	Name of archaeological sites and remains	Name of village/ city	Name of tehsil and district	Revenue Khasra/ Kila number under protection.	Area to be protected	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Tombstones of 20 Prisoners of Anglo-Boer War (1899-1902)	-	European Cemetery, Ambala Cantt.	Ambala	Government Land Record, Survey No. 159	Tombstones of 20 Prisoners of Anglo-Boer War (1899-1902) and the area immediately surrounding of radius one meter, but not including adjacent grave.	Ministry of Defence, Government of India	Managed by United Kingdom High Commission in India.

DR. ASHOK KHEMKA,  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Archaeology and Museums Department.